कार्यालय प्राचार्य, शासकीय डॉ.वा.वा.पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
केन्द्रीय विद्यालय के पास, जेलरोड दुर्ग (छ.ग.)
पूर्व नाम–शासकीय कन्या महाविद्यालय,दुर्ग (छ.ग.) फोन 0788–2323773
Email- govtgirlspgcollege@gmail.com
Website: www.govtgirlspgcollegedurg.ac.in
College Code : 1602

दुर्ग, दिनांक 16.07.2024

//प्रेस विज्ञप्ति//

शासकीय कन्या महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन

शासकीय डॉ0 वा0 वा0 पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग में केन्द्र सरकार के नए न्यायिक अधिनियम-2023 के प्रचार-प्रसार हेतु द्वितीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. डी.सी. अग्रवाल ने कहा कि आज की परिस्थितियों में जिन कानूनों में फेरबदल किया गया है वे आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। सामाजिक सुधार एवं रचनात्मक कार्य को ध्यान में रखकर सभी कानून बनाए गए हैं।

एड्वोकेट शकील अहमद सिद्धकी ने कहा कि न्यायिक अधिनियम 2023 के लागू होने से अब भारत की न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आयेंगे और ब्रिटिश काल के कानूनों का अंत हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के क्रमशः भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का स्थान लेंगे। जीरो एफ.आई.आर. से पुलिस में ऑनलाईन शिकायत दर्ज कराना, एसएमएस के जरिए समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम एवं वारदात स्थल की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल किये गए हैं। उन्होनें कहा कि न्यायिक अधिनियम-2023 सामाजिक एवं संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए एक रचनात्मक पहल है।

अभियोजन अधिकारी एडवोकेटे अनुभूति झा ने अपने व्यक्तव्य में कहा कि न्यायिक अधिनियम-2023 में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है। किसी बच्चे को खरीदना बेचना जघन्य अपराध माना गया है और नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्रकैद का प्रावधान जोड़ा गया है। फैसले में देरी को खत्म कर दिया गया है अब मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के भीतर फैसला हो जाएगा। महिला, बच्चे और बुजुर्गों को थाने में आने से छूट मिली है। नियमों में परिवर्तन के तहत पहली बार सामुदायिक सेवा प्रारंभ की गई है। रेप के मामले में पीड़िता का बयान पुलिस घर जाकर माता-पिता की उपस्थिति में लेगी। 24 घण्टे के अंदर मेडिकल कराना अनिवार्य होगा साथ ही गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में अपने पसंद के व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार दिया गया है।

इस प्रकार नए अपराधिक कानून के लागू होने से भारत की अपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. मुक्ता बाखला ने किया एवं आभार प्रदर्शन श्रीमती वंदना बंजारे ने किया।

इस कार्यशाला में महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक उपस्थित थे।

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय डॉ0 वा0 वा0 पाटणकर
कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग(छ.ग.)

शासकीय डॉ0 वा0 वा0 पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)